प्रपत्र VI 'क'
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय, खूँटी

पत्रांक–.-38(i)
दिनांक–..05.11.18

(जिला भू–अर्जन शाखा)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूंकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम बेलाहाथी थाना– खूँटी थाना सं0 91 अंचल खूँटी जिला खूँटी** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **मौजा बेलाहाथी में बनने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि के पहूँच पथ** नगर पंचायत, खूँटी के लिए अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है **कि ग्राम बेलाहाथी थाना– खूँटी थाना सं0 91 अंचल खूँटी जिला खूँटी** के भीतर उपर्युक्त परियोजना के लिए **कमोबेश 0.94 एकड़** यानि 0.3804045037056 हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित अर्जनाधीन है।

ग्राम बेलाहाथी थाना– खूँटी थाना सं0 91 अंचल खूँटी का विस्तृत विवरणी

क0 सं0	खाता संख्या	सर्वे भू–खण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए0)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू–खण्ड संख्या) उ0 द0 पू0 प0
1	61	42	मंथन पौड वगै0	टांड़ तीन	0.225	बालमिकी पासवान पिता स्व0 कैलाश पासवास, कुम्हार टोली, खूँटी	उ0 8 द0 43 पू0 नीज प0 नामकोम सीमाना
2		43			0.34		उ0 42 द0 दतिया सीमाना पू0 नीज प0 नामकोम सीमान
3		44			0.125		उ0 43 द0 45 पू0 नीज प0 दतिया सीमान
4		45			0.15		उ0 44 द0 58 पू0 नीज प0 दतिया सीमान
5	91	58	शम्भु भगत		0.10		उ0 45 द0 रास्ता पू0 नीज प0 दतिया सीमान
				कुल	0.94		

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा 11(1) के उपबन्धो के अधोन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/नक्शा का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसको प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापन के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करते हैं।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खूँटी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

07/11/18

उपायुक्त,
खूँटी।